

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0— दिनांक— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा-(1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-1 के खण्ड-(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-3830, 3831 दिनांक-06.09.2016 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ-3 में उक्त अनुसूची के स्तंभ-2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतये होगी।

2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप- धारा (1) के खण्ड-(III) के अर्न्तगत होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से प्रभावी होगी।

अनुसूची

क्र0सं0 **अनुसूचित नियोजनों का नाम**

1. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का कार्य;
2. बीडी निर्माण;
3. ईंट निर्माण;
4. हेयर कटिंग शैलून;
5. लादने एवं उतारने के कार्य;
6. वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य;
7. असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टैपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग;
8. मिट्टी काटने के कार्य;
9. चाय बगान;
10. लाह निर्माण;
11. पावरलूम इंडस्ट्रीज (बिजली करघा);
12. केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने ।

क्र० सं०	कामगारों की श्रेणी एवं मात्रानुपाती कार्य	वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	दिनांक 01.04.2016 तक देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (43%)	कुल (3+4)	15% पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें दि०- 01.12.16 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1.	पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के कार्यों : - (सामान्य कार्य)					
1.	अकुशल -	144.00	62.00	206.00	31.00	237.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल-	150.00	65.00	215.00	32.00	247.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	183.00	79.00	262.00	39.00	301.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	223.00	96.00	319.00	48.00	367.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	4134.00	1778.00	5912.00	887.00	6799.00 प्रतिमाह
i.	खदान से निकालना एवं बैल गाड़ी से ढोना-(प्रति 100 घनफीट)					
(क)	1/4 मील के अन्दर और वहां तक	313.00	135.00	448.00	67.00	515.00
(ख)	प्रत्येक 1/4 मील के उपर ढोने के लिए।	72.00	31.00	103.00	15.00	118.00
ii-	माइनिंग ट्रौली तोड़ने और परिवहन ट्रौली द्वारा। (प्रति 25 घनफीट कटाव)	77.00	34.00	111.00	17.00	128.00
iii-	बोल्डर्स बेली तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)	77.00	34.00	111.00	17.00	128.00
iv-	बोल्डर्स ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)					
(क)	2" x 3"	163.00	70.00	233.00	35.00	268.00
(ख)	2" x 2½"	202.00	87.00	289.00	43.00	332.00
(ग)	1½" x 2"	243.00	105.00	348.00	52.00	400.00
(घ)	1"	401.00	172.00	573.00	86.00	659.00
v-	निज तौलाई से ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 5 फीट का बक्सा)	26.00	11.20	37.20	5.60	42.80

vi-	चिप्स तोड़ने वाला (प्रति घनफीट)					
(क)	हाथ द्वारा बनाई गई 3/4" डाउन छरी।	13.00	5.60	18.60	2.80	21.40
(ख)	हाथ द्वारा बनाई गई 1" डाउन छरी।	13.00	5.60	18.60	2.80	21.40
vii	मिट्टी काटने वाला-					
(क)	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	144.00	62.00	206.00	31.00	237.00 प्रतिदिन
(ख)	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	144.00	62.00	206.00	31.00	237.00 प्रतिदिन
(ग)	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	144.00	62.00	206.00	31.00	237.00 प्रतिदिन
नोट:- महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेंगे।						
viii-	वोरस या ड्रीलर्स प्रति घनफीट	20.00	8.60	28.60	4.30	32.90
ix-	माईन्स (एक चौथाई मिल के अन्दर माथे से वोरस ढोना) प्रति 25 घनफीट	94.00	41.00	135.00	20.00	155.00
x-	बैगन लादने वाला (500 घनफीट के ब्रोडज का पूरा बैगन) बैगन की दुलाई।	259.00	112.00	371.00	56.00	427.00
xi-	स्टोन सेट (पत्थर की ईट) प्रति 100 पीस के लिए					
(क)	ब्रेकिंग साईज 9" X 6" X 4" प्रति 100 पीसेज	316.00	136.00	452.00	68.00	520.00
(ख)	स्टोन सेट (पत्थर की ईट की पालिश करना)। प्रति 100 पीसेज	177.00	76.00	253.00	38.00	291.00